

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग,  
सुदामा नगर, श्रीगंगानगर – 335001

E-mail : me.ganganagar@rajasthan.gov.in

TeleFax: 0154-2463199

क्रमांक: खअ/श्रीगंगा/22/सू.अ./4712

दिनांक: 28.04.2022

प्रेषित:

श्री राणा,  
जिला जोधपुर(राज0)। मो. 9414133141  
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध  
कराने बाबत।  
प्रसंग: आपका पत्र दिनांक 07.12.2021 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप आवेदक द्वारा चाही गई  
बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार से है:-

बिन्दु सं: 1

कार्यालय द्वारा निदेशालय के पत्र क्रमांक 893-950 दिनांक 21.05.2020 के बिन्दु संख्या  
1 की पालना में कार्यालय क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में कार्यशील खनन पट्टों की सूचना  
निदेशालय खान सुरक्षा कार्यालय में प्रेषित की गयी है।

बिन्दु सं: 2

सूची साथ संलग्न है।

बिन्दु सं: 3

बिन्दु संख्या 2 में वर्णित नियम 28(2)(iv)(a) के उल्लंघन का कोई प्रकरण कार्यालय में  
नहीं पाये जाने कारण खनन पट्टेधारियों को नोटिस जारी नहीं किये गये है।

बिन्दु सं: 4

समस्त खनन पट्टेधारियों द्वारा वर्णित नियम 28(2)(4)(ए) की पालना की गयी है।(सूची  
संलग्न है)


बिन्दु सं: 5

कार्यालय क्षेत्राधिकार में जारी किये गये क्वारी लाईसेंस की संख्या शून्य है। अतः इस  
संबंध में चाही गई सूचना शून्य है।

बिन्दु सं: 6

एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 28(3)(8) के अनुसार इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में जारी  
किये गये क्वारी लाईसेंस की संख्या शून्य होने से सूचना शून्य है। जिला श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार  
में आज दिनांक तक के डी.एम.एफ.टी. के लागू होने के बाद आयोजित मिटिंग मिनट्स संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

  
लोक सूचना अधिकारी  
एवं खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग,  
श्रीगंगानगर